1

# न्यायालय श्रीमान् रेवन्यू कमिश्नर महोदय ग्वालियर म.प्र. सर्किट कोर्ट

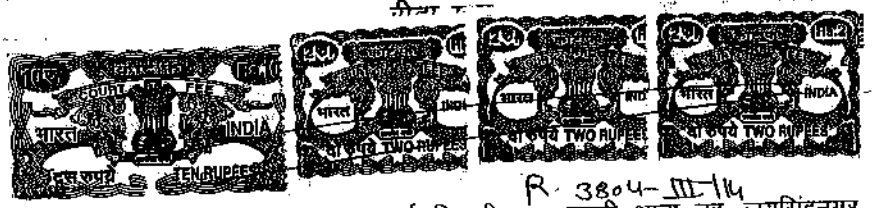

R. 3804-III-14

जगतदेव पिता रंगू कांछी उम्र 67 वर्ष निवासी ग्राम कुदरी थाना तह. जयसिंहनगर जिला शहडोल म.प्र. ......................आवेदक/निगरानीकर्ता

बनाम्

1–हंसराज पिता पिता कमोदवा चमार निवासी ग्राम कुदरी थाना तह. जयसिंहनगर जिला शहडोल म.प्र.

2–म.प्र.शासन

....................अनावेदकगण/गैरनिगरानीकर्तागण

राजस्व निगरानी अंतर्गत धारा 50 म.प्र.भू.रा. सं. 1959 वास्ते श्रीमान् तहसीलदार महोदय तहसील जयसिंहनगर वृत्त आमडीह शहडोल जिला शहडोल म.प्र. द्वारा राजस्व प्रकरण कं. 115/अ–3/11–12 आदेश दिनांक 31.08.2012 से परिवेदित होकर निगरानी प्रस्तुत की जा रही है।

मान्यवर,

क्रमांक 3505 रजिस्टर्ड पोस्ट द्वारा आज दिनांक 29-10-14 को प्राप्त कलर्क ऑफ कोर्ट राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

निगरानी आवेदनपत्र प्रस्तुत कर विनयी है कि –

1– यह कि गैरनिगरानीकर्ता कं. 1 द्वारा तह. जयसिंहनगर में नक्शा तरमीम हेतु इस आशय का आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया कि मौजा कुदरी पटवारी हल्का कुदरी रा.नि.मं. अमझोर तह. जयसिंहनगर में स्थित आराजी खसरा कं. 348/1ख रकबा 1.29 ए., आ.ख. 348/1ग रकबा 0.75 ए., आ.ख. 384/1 क रकबा 1.50 ए., भूमियों का नक्शा तरमीम हेतु प्रस्तुत किया गया था।

2– यह कि गैर निगरानीकर्ता कं. 1 को उक्त आवेदन में बिना पक्षकार बनाए हुए प्रस्तुत किया गया जो विधि विरूद्ध होने के कारण अधीनस्थ न्यायालय का आदेश निरस्त किए जाने योग्य है।

3– यह कि जिसकी जानकारी निगरानीकर्ता को नक्शा तरमीम किए जाने के समय सरहद्दी काश्तकार होने एवं आराजी खसरा कं. 348/1क/1/2 के पट्टेदार होने के बावजूद नक्शा तरमीम कार्यवाही की जानकारी निगरानीकर्ता को नहीं दी गयी, चोरी छिपे राजस्व निरीक्षक महोदय अमझोर द्वारा गलत तरीके से तरमीम प्रस्ताव अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत किया गया तब निगरानीकर्ता को अधीनस्थ न्यायालय के रीडर से उक्त प्रकरण के संबंध में जब जानकारी प्राप्त

......2

जगतदेव

- XXXa BR H-11

राजस्व् मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

——— जगतदेव/ हंसराज

प्रकरण कमांक निग0 3804—तीन/14

जिला —शहडोल

| स्थान तथा दिनांक | कार्यवाही तथा आदेश | पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर |
|---|---|---|
| 1/3/16 | आवेदक द्वारा यह निगरानी तहसीलदार जयसिंहनगर जिला शहडोल के प्रकरण कमांक 115/अ-3/11-12 आदेश दिनांक 31-8-12 के विरूद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई ।<br>आवेदक अभिभाषक के तर्क सुने एवं प्रकरण का अवलोकन किया। प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि अनावेदक द्वारा अपने भूमि स्वामी स्वत्व की भूमियों के नक्शा तरमीम हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया था । जिसमे आदेश दिनांक 31-8-2012 को तहसीलदार द्वारा स्वीकृत किया गया । आवेदक अभिभाषक का तर्क है कि आवेदक खसरा कमांक 348/1क/1/2 का पट्टेदार है एवं अनावेदक की नक्शा तरमीम किये जाने वाली भूमि का सरहद्दी काश्तकार है फिर भी आवेदक को बिना सूचना दिये तथा बिना पक्षकार बनाये तहसीलदार द्वारा आदेश किया गया, । अतः तहसीलदार का उक्त आदेश निरस्त किया जाय । निगरानी आवेदन के साथ धारा-5 अवधिविधान का आवेदन पत्र प्रस्तुत किया है जिसमें यह बताया कि 31-8-2012 के आदेश की जानकारी दिनांक 28-9-2014 को हुई एवं नकल प्राप्ति दिनांक 15-10-2014 को प्राप्त होने के पश्चात् निगरानी प्रस्तुत की । तहसीलदार न्यायालय के आदेश की सत्यापित प्रति के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि अनावेदक | |

R3804-Ju/14 आदेश

हंसराज द्वारा प्रस्तुत किये गये । आवेदन पर आवेदक जगतदेव काछी द्वारा आपत्ति प्रस्तुत की गयी जिस पर अनावेदक द्वारा जबाव भी दिया गया एवं तहसीलदार ने यह लिखते हुए आपत्ति निरस्त की कि आपत्तिकर्ता अपनी भूमि का सीमांकन स्वयं करा सकता है । इससे यह स्पष्ट है कि आवेदक अभिभाषक का यह तर्क उचित नहीं कि आवेदक की बिना जानकारी के ही अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आदेश किया गया है । तहसीलदार द्वारा दिनांक 31–8–2012 द्वारा किये गये आदेश की निगरानी दिनांक 29–10–2014 को की गई है । लगभग 2 वर्ष की विलम्ब अवधि के संबंध में कोई समाधान कारक कारण प्रस्तुत नहीं कर सके ।

अतः विलम्ब में प्रस्तुत करने के कारण निगरानी अगाह्य की जाती है । धारा–5 का आवेदन अस्वीकृत किया जाता है ।

सदस्य